

**न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला देवास (म0प्र0)**

क्रमोंक- 92/24

देवास दिनांक-01.04.2024

**::- विविध आदेश -::**

मैं डॉ. रविकांत सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास म.प्र. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **माह अप्रैल एवं मई, 2024** में आने वाले सार्वजनिक अवकाश में रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को उनके न्यायालय कक्ष में सायं 3 से 5 बजे तक कार्य संपादित करने हेतु आदेशित करता हूँ :-

**मुख्यालय देवास**

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	अप्रैल, 2024	मई, 2024
1	श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी, जे.एम.एफ.सी.	7	—
2	सुश्री रश्मि खुराना जे.एम.एफ.सी.	9	5
3	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम.एफ.सी.	11	12
4	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी.	14	13
75	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	17	18
6	श्रीमती पल्लवी सिंह, जे.एम.एफ.सी.	21	19
7	श्री कुँवर युवराजसिंह, जे.एम.एफ.सी.	—	23
8	श्री सौरभ जैन, जे.एम.एफ.सी.	28	26

**तहसील मुख्यालय सोनकच्छ**

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	अप्रैल, 2024	मई, 2024
1	सुश्री स्वाति बजाज, जे.एम.एफ.सी.	07, 17, 21, 28	18, 19, 23
2	सुश्री निकिता पवार, जे.एम.एफ.सी.	09, 11, 14	05, 12, 13, 26

**तहसील मुख्यालय टोंकखुर्द**

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	अप्रैल, 2024	मई, 2024
1	श्री बुदेसिंह सोलंकी, जे.एम.एफ.सी.	07, 17, 09	12, 13, 26
2	सुश्री आयुषी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.	11, 14, 21, 28	05, 18, 19, 23

**तहसील मुख्यालय बागली**

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	अप्रैल, 2024	मई, 2024
1	श्री राकेश कुमार जाटव, जे.एम.एफ.सी.	07,	05, 12
2	श्रीमती सरिता पारस, जे.एम.एफ.सी.	09, 21	13
3	श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, जे.एम.एफ.सी.	11, 28	18, 26
4	सुश्री आयुषी मालवीय, जे.एम.एफ.सी.	14, 17	19, 23

**तहसील मुख्यालय कन्नौद**

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	अप्रैल, 2024	मई, 2024
1	श्रीमती मीना शाह, जे.एम.एफ.सी.	07,	05, 12
2	श्रीमती नंदिनी उईके, जे.एम.एफ.सी.	09, 28	13


3	श्रीमती सोनाली शर्मा, जे.एम.एफ.सी.	11, 21	18, 26
4	श्री कुंदन कछवाह, जे.एम.एफ.सी.	14, 17	19, 23

**तहसील मुख्यालय खातेगांव**

क्र.	पीठासीन अधिकारी का नाम	अप्रैल, 2024	मई, 2024
1	श्री पंकज सविता, जे.एम.एफ.सी.	14, 21	23, 26
2	श्रीमती राधा उईके, जे.एम.एफ.सी.	09, 17,	18, 19,
3	श्री राजू पन्दे, जे.एम.एफ.सी.	07, 11, 28,	05, 07, 12

**नोट:-**


- उपरोक्त वर्णित तिथियों में मजिस्ट्रेट, कर्मचारियों सहित दिन में 3 बजे से 5 बजे तक न्यायालय में कार्य संपादित करेंगे। किसी कारणवश उक्त कार्य संपन्न करने की असमर्थता की स्थिति में अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में वे मुख्यालय अथवा तहसील में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट से चर्चा स्वयं करेंगे और मुख्यालय अनुमति मिलने पर वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में इस न्यायालय को सूचित करने के पश्चात ही मुख्यालय प्रस्थान करेंगे। मध्य में कोई शासकीय अवकाश घोषित होने पर उक्त दिवस का आकस्मिक कार्य मुख्यालय देवास में माह अप्रैल में श्री सौरभ जैन, माह मई में श्री कुँवर युवराज सिंह जे.एम.एफ.सी., सोनकच्छ में माह अप्रैल में सुश्री निकिता पवार जे.एम.एफ.सी., माह मई में सुश्री स्वाति बजाज जे.एम.एफ.सी., टोंकखुर्द में माह अप्रैल में सुश्री आयुषी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी., माह मई में श्री बुदेसिंह जे.एम.एफ.सी., बागली में माह अप्रैल में सुश्री आयुषी मालवीय जे.एम.एफ.सी., माह मई में श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, जे.एम.एफ.सी., कन्नौद में माह अप्रैल में श्री कुंदन कछवाह जे.एम.एफ.सी., माह मई में श्रीमती सोनाल शर्मा, जे.एम.एफ.सी. एवं खातेगाँव में माह अप्रैल में श्री राजू पन्दे, जे.एम.एफ.सी. माह मई में श्रीमती राधा उईके, जे.एम.एफ.सी. के द्वारा संपादित किया जावेगा। **रिमांड अवधि में आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित न्यायिक अधिकारी, के द्वारा सी.जे.एम. को लिखित सूचना दी जाकर अनुमति उपरांत ही रिमाण्ड ड्यूटी से विरत होंगे।**
- लोक सभा चुनाव के दौरान तहसील स्थापना खातेगाँव में दिनांक 07.05.2024 को एवं शेष सम्पूर्ण देवास जिले में दिनांक 13.05.2024 को मतदान तिथि घोषित होने से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से अवकाश घोषित होने की प्रत्याशा में उक्त तिथि में रिमांड ड्यूटी नियत की गई है।
- यदि कोई मजिस्ट्रेट ट्रेनिंग पर जाते हैं तो उक्त ट्रेनिंग अवधि में रिमांड ड्यूटी का प्रभार वैसे ही रहेगा जैसे उक्त मजिस्ट्रेट के अवकाश अवधि में जाते समय प्रभार में रहता है।
- उक्त अवधि के दौरान किसी मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने पर उक्त रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

  
(डॉ. रविकांत सोलंकी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जिला देवास  
देवास, दिनांक 01.04.2024

**पृष्ठांकन क्रमांक 93 / 2024**

**प्रतिलिपि :-**

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास/सोनकच्छ/टोंकखुर्द/बागली/कन्नौद/खातेगाँव की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ देवास/सोनकच्छ/टोंकखुर्द/बागली/कन्नौद/खातेगाँव की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय देवास की ओर आदेश की प्रति जिला स्थापना एवं तहसील स्थापनाओं में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की ओर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने हेतु प्रेषित।

  
(डॉ. रविकांत सोलंकी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जिला देवास